

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

// विविध आदेश //

क्रमांक-133/

/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 18/08/2026

श्री वारीन्द्र कुमार तिवारी, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश रीवा की न्यायालय में लंबित सत्र प्रकरण क्रमांक-92/2014 म0प्र0 राज्य वि0 बृजवासीलाल वगै0 एवं सत्र प्रकरण क्रमांक-61/2013 म0प्र0 राज्य वि0 गणेश तिवारी, थाना पनवार के अपराध से उदभूत होकर तहसील त्योंथर में होने एवं प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्रीय अधिकारिता तहसील त्योंथर की न्यायालय को होने के फलस्वरूप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-448 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए को श्री वारीन्द्र कुमार तिवारी, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश रीवा की न्यायालय में लंबित सत्र प्रकरण क्रमांक-92/2014 म0प्र0 राज्य वि0 बृजवासीलाल वगै0 एवं सत्र प्रकरण क्रमांक-61/2013 म0प्र0 राज्य वि0 गणेश तिवारी को उनकी न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु श्री वैभव सक्सेना जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश त्योंथर की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

Sd/-

(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्र0-4133/

/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 18/08/2026

प्रतिलिपि:-

1. तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश रीवा।
की ओर सत्र प्रकरण क्रमांक-92/2014 म0प्र0 राज्य वि0 बृजवासीलाल वगै0 एवं सत्र प्रकरण क्रमांक-61/2013 म0प्र0 राज्य वि0 गणेश तिवारी का मूल प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।
2. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश त्योंथर की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश।
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा एवं त्योंथर।
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
5. जे0एस0ए0/डी0एस0ए0 की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

18/8/26

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)